बजाज फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सी/ओ बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्प्लेक्स मुंबई पुणे रोड अकुर्डी पुणे-411035
शाखा कार्यालय: बजाज फाइनेंस लिमिटेड, शाहजहाँपुर,
शाखा कार्यालय: तीसरी मंजिल, शालीमार इरिडियम, प्लॉट नंबर टीसी/जी-1/1, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

मेसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को निम्नलिखित सूचना अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, अर्थात बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उन्हें दिए गए गृह ऋण/संपत्ति पर ऋण के लिए मूलधन के साथ-साथ ब्याज और उस पर अर्जित अन्य शुल्कों के पुनर्भुगतान में चूक गए हैं और परिणामस्वरूप ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति बन गए हैं। तदनुसार, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) और उसके नियमों के तहत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए गए थे, हालाँकि वे बिना तामील/बिना वितरित किए वापस आ गए हैं, अतः उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को इस प्रकाशन सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे समय-समय पर उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत अपनी बकाया राशि का भुगतान करें।

ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पते	लागू की जाने वाली सुरक्षित/बंधक अचल संपत्ति/संपत्ति का पता	मांग सूचना की तिथि और राशि
शाखाः शाहजहाँपुर LAN : P4C0PFB5754262 1. दुर्गा टायर्स अपने प्रो. रवि अरोड़ा, निवासी 00, चार खंबा बकसरिया शाहजहाँपुर के पास, उत्तर प्रदेश -242001, संपर्क- 9935421489 ईमेल आईडी- ayusharora.arora667@gmail.com इसके अलावा, निवासी मकान संख्या 178 और 178 केए, 178 केएचए बकसरिया, तहसील और जिला शाहजहाँपुर यूपी- 242001 2. अर्चना अरोड़ा पत्नी रवि अरोड़ा निवासी चार खंबा दुर्गा टायर्स बकसरिया शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश -242001, संपर्क- 6390848204, ईमेल आईडी- ayusharora.arora667@gmail.com 3. रवि अरोरा पुत्र बनारसी लाल निवासी चार खंबा दुर्गा टायर्स बकसरिया शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश 242001, संपर्क- 9935421489, ईमेल आईडी- ayusharora.arora667@gmail.com	मकान संख्या 178 और 178 केए, 178 केएचए बक्सरिया, तहसील और जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश - 242001, साझा क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सेदारी सहित (क्षेत्रफल 998 वर्ग फुट) सीमाएँः कानूनी दस्तावेजों के अनुसारः पूर्व- शमीम जहाँ की दुकान/खरीदार बनारसी लाल की दुकान श्रीमती कमला देवी का मकान और श्रीमती सईदा बेगम की दुकान; पश्चिम- बनारसी लाल की दुकान/ढकी हुई गली; उत्तर- श्रीमती कमला देवी का मकान/बनारसी लाल का मकान; दक्षिण- जी.टी. रोड/रोड साइट विजिट के अनुसारः पूर्व- डॉ. विजेंद्र कुमार की दुकान; पश्चिम- ग्राहक के पिता का शेष भाग, फिर सतीश की दुकान और मकान (बेचा गया); उत्तर- विजय रस्तोगी/छोटे लाल का मकान (बेचा गया); दक्षिण- रोड।	27.06.2025 27.06.2025 को 25,07,182.69 रुपये (पच्चीस लाख सात हजार एक सौ बयासी रुपये और उनसठ पैसे मात्र)
शाखाः लखनऊ LAN : P456PFB4440386 और P456PFB4439898 1. आशीष इलेक्ट्रिक कंपनी इसके प्रो. मनीष सैनी निवासी ई 4003 न्यू टेम्पो स्टैंड के पास राजाजी, पुरम लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017, संपर्क-8840907676, ईमेल आईडी manish.saini@gmail.com इसके अलावा, निवासी मकान संख्या 628/052 मोहल्ला गाजीपुर सैदुन्निशा वार्ड मैथिली शरण गुप्त परगना, तहसील और जिला लखनऊ- 226106 2. कंचन सैनी पत्नी मनीष सैनी निवासी ई-4001 ई-4003 राजाजीपुरम लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226017, संपर्क- 8840907676, ईमेल आईडी- manish.saini@gmail.com 3. मनीष सैनी पुत्र राम खिलावन सैनी निवासी ई 4001 ई 4003, न्यू टेंपो स्टैंड के पास, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226017 संपर्क- 8840907676, ईमेल आईडी- manish.saini@gmail.com	मकान संख्या 628/052 मोहल्ला गाजीपुर सैदुन्निशा वार्ड मैथिली शरण गुप्त परगना, तहसील एवं जिला लखनऊ- 226106, साझा क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सेदारी सहित (क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट) सीमाएँः- कानूनी दस्तावेजों के अनुसारः पूर्व- वेद प्रकाशजी का मकान; पश्चिम- 5 फुट चौड़ी गली; उत्तर- राजेश जायसवाल का मकान; दक्षिण- 6 फुट चौड़ी गली; साइट विजिट के अनुसारः पूर्व- वेद प्रकाशजी का मकान; पश्चिम- 8 फुट चौड़ी गली; उत्तर- राजेश जायसवाल का मकान; दक्षिण- 4 फुट चौड़ी गली।	30.06.2025 30.06.2025 को 29,07,062/- रुपये (केवल उनतीस लाख सात हजार बासठ रुपये)

यह कदम नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा के लिए उठाया जा रहा है। उपरोक्त उधारकर्ताओं और/या सह-उधारकर्ताओं गारंटरों) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा (बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ उपलब्ध किसी अन्य सही उपाय के प्रतिकूल प्रभाव के बिना) सुरक्षित परिसंपत्तियों/बंधक संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आगे की कार्रवाई वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार शुरू की जाएगी। ऊपर नामित पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त संपत्तियों में तीसरे पक्ष के हित को अलग न करें, न बनाएं। जिसका प्रभार बजाज फाइनेंस लिमिटेड के पास है।

स्थानः उत्तर प्रदेश
तिथिः 18.07.2025

कृते मै. बजाज फाइनेंस लिमिटेड,
प्राधिकृत अधिकारी

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 15 6वीं मंजिल, सेक्टर 44 इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम,हरियाणा–122002
शाखा कार्यालय: 124/3, भूतल, अंबेडकर चौराहा, सिविल लाइंस, लैंडमार्क एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, गोंडा, उत्तर प्रदेश – 271001.

चल वस्तुओं की डिलीवरी लेने के लिए आवेदन

ऋण संख्या	उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि	भौतिक कब्जे की तिथि
LAFZVLLONS000005073174/ AP-10177203	श्री/श्रीमती नकछेदन पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश श्री/श्रीमती मोनू गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता श्री/श्रीमती शांति देवी पत्नी मोनू गुप्ता श्री/श्रीमती सोनू गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता	15.10..2024	25 जून 2025

संपत्ति का पताः सभी टुकड़े और पार्सल क्षेत्र 375 वर्ग फीट, मौजा दुर्जनपुर घाट परगना नवाबगंज तहसील तरबगान गोंडा उत्तर प्रदेश 271309 सीमाः– पूर्व–ओम प्रकाश मौर्य का मकान, पश्चिम–भवन प्रसाद की दुकान और मकान, उत्तर–विजय सिंह का मकान, दक्षिण–25 फीट चौड़ी सड़क सरकारी दुजनपुर नवाबगंज

यह सार्वजनिक सूचना इस तथ्य के मद्देनजर जारी की जाती है कि उधारकर्ताओं को नोटिस भेजने के बावजूद, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उपरोक्त उधारकर्ता(ओं) से उनके अंतिम पते पर संपर्क नहीं कर पाया है। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं को उपरोक्त तिथि को मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उक्त मांग नोटिस का पालन करने में विफल रहने पर, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त मांग नोटिस में विशेष रूप से वर्णित सुरक्षित परिसंपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। उक्त उधारकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे सुरक्षित परिसंपत्ति में पड़े अपने निजी सामान को तुरंत हटा लें। ऐसा न करने पर, प्राधिकृत अधिकारी के पास निजी घरेलू सामान आदि को हटाने और उसे उचित समझे जाने वाले तरीके से निपटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उधारकर्ताओं का होगा। ऐसी स्थिति में, भविष्य में इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांकः 19.07.2025 स्थानः गोंडा **(प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री सुधीर तोमर से मोबाइल नंबर 91 98184 60101 पर संपर्क करें।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.

पंजीकृत कार्या.: 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
शाखा का पताः 7वीं मंजिल, हलवासिया कॉमर्स हाउस, हबीबुल्लाह एस्टेट, 11 एम.जी. मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, 226001, यूपी

ऋण खाता संख्याः 9953181

आम जनता को और विशेष रूप से **श्री मोहम्मद रिजवान उर्फ मोहम्मद रिजवान नईम (उधारकर्ता), और श्रीमती रहनुमा फातिमा, पत्नी श्री मोहम्मद रिजवान उर्फ मोहम्मद रिजवान नईम (सह-उधारकर्ता/गारंटर)** और उनके कानूनी वारिसों/प्रतिनिधियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफैसी अधिनियम 2002 के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, अनुसूची ए में नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसे टीसीएचएफएल के पास गिरवी रखा गया था का भौतिक कब्जा ले लिया है। कई सूचना देने के बावजूद आपने उक्त परिसर में पड़े सामान को हटाने में विफल रहे /लापरवाही की है। अतः, इस सूचना के माध्यम से आपको इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 07 (सात) दिनों के भीतर अचल संपत्ति में पड़े सामान को हटाने का अंतिम अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्राधिकृत अधिकारी योग्यता के अनुसार सामान के निपटान की कार्यवाही करेगा। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी और टीसीएचएफएल जिम्मेदार नहीं होंगे। कृपया ध्यान दें कि हमने संपत्ति पर पड़े सामान को बेचने के लिए खरीदार की पहचान कर ली है, यदि आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो हम अपने बकाया की वसूली के लिए संपत्ति का निपटान कर देंगे।

अनुसूची - ए

बिक्री विलेख में वर्णित सभी सामान्य सुविधाएं सहित आवासीय मकान संख्या 541ए/केएच-531/01 जो प्लॉट संख्या 223ए का हिस्सा हैं, जिसका माप 400 वर्ग फुट यानी 37.174 वर्ग मीटर है और कवर क्षेत्र का माप 111.524 वर्ग मीटर है, जो खसरा सं. 553/1 में शामिल है, जो हैदरगंज जदीद, वार्ड/परगना बालकगंज, तहसील और जिला लखनऊ-226001 (उत्तर प्रदेश) में स्थित है, का सभी भाग तथा हिस्सा। सीमाएंः पूर्व - प्लॉट संख्या 24, पश्चिम - सुनील कुमार का शेष भाग, उत्तर - दूसरों की संपत्ति, दक्षिण - 15' चौड़ी सड़क।

स्थानः लखनऊ - उत्तर प्रदेश **हस्ता/-, प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांकः 19-07-2025 **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.**

सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालयः यूनिट क्रं. 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई-400098, सीआईएन क्रमांक U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमन, 2002 के नियम 8(1) व 8(2) के अनुसार)
ऋण खाता संख्या VNSAZ22009129

जबकि, निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 11–10–2023 को एक मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें उधारकर्ता के रूप में रघुवर यादव और मेवाती देवी तथा राजू यादव को सह–उधारकर्ता के रूप में नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि रुपये 11,12,454/– (ग्यारह लाख बारह हजार चार सौ चौवन रुपये मात्र) सहित संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता को विशेष रूप से और सामान्य तौर पर आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमन, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 जुलाई, 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य तौर पर आम जनता को इस संपत्ति के लेनदेन करने न के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए एक निश्चित राशि सहित अनुबंधात्मक ब्याज, दंड ब्याज, शुल्क, लागत आदि प्रभार के अधीन होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

अधिकार में अचल संपत्ति का टुकड़ा एवं अंश–आराजी नंबर–358, माप 105.3 वर्ग मीटर, मौजा–रेहड़ा, परगना–अतरौलिया, तह– बुढ़ानपुर, जिला आजमगढ़–223221, उत्तर प्रदेश। सीमाएँ:– पूर्व:– संतोषी की भूमि पश्चिमः– बुढ़ानपुर से अहरौला रोड उत्तरः– शीला देवी की भूमि दक्षिणः– मुख्तार की भूमि,

दिनांकः 16–07–2025, **अधिकृत अधिकारी,**
स्थानः आजमगढ **सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए**

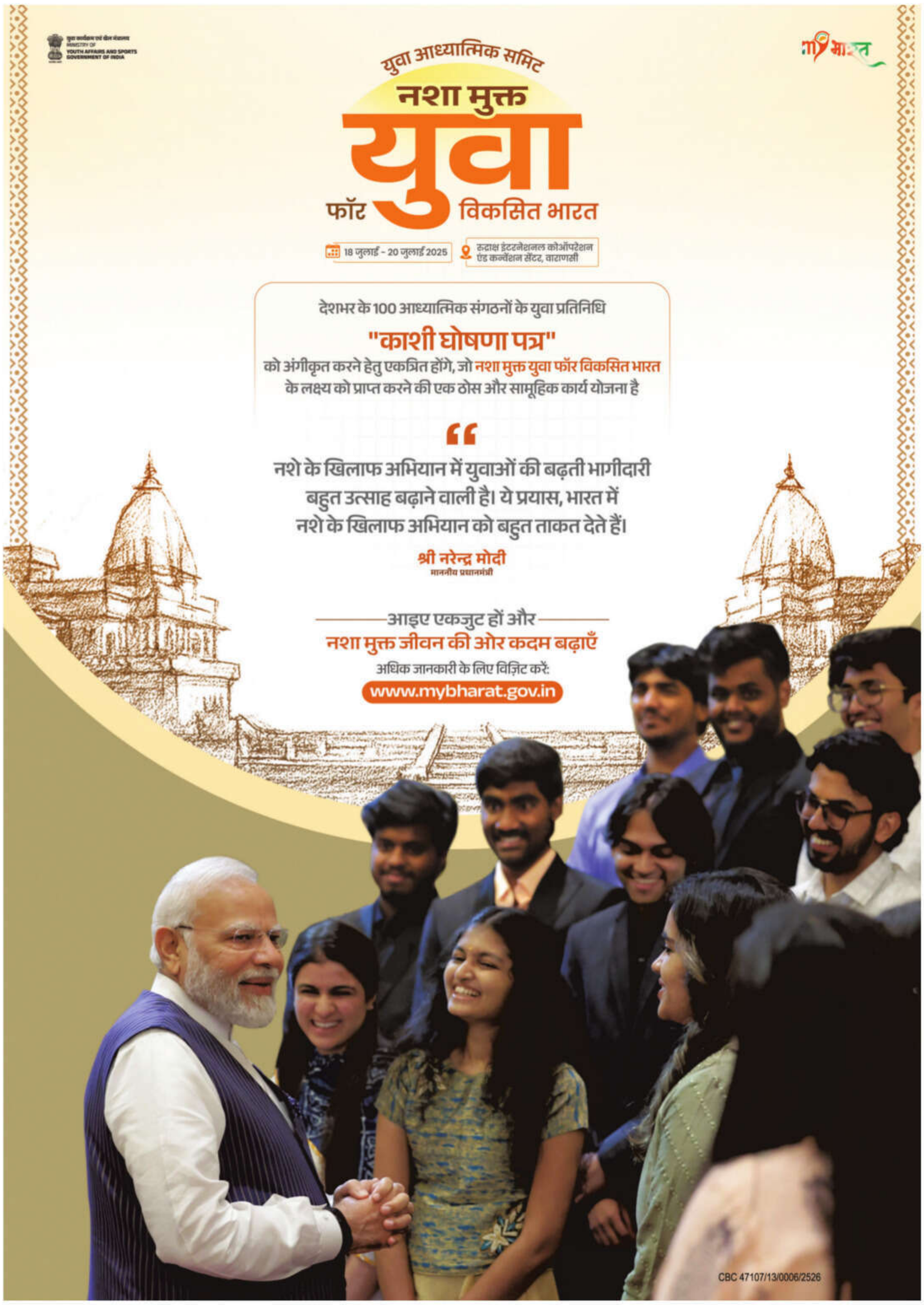

शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 501, सालकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली – 110025 सीआईएनः यू65900डीएल2020पीएलसी366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के निम्नवर्णित कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से लिया गया स्वर्ण ऋण, उनसे बार बार मांग किए जाने और सूचनाएं, जिसमें बैंक द्वारा जारी व्यक्तिगत सूचनाएं शामिल हैं, जारी किए जाने के बावजूद, समायोजित नहीं किए गए हैं। एतद्द्वारा सभी कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि बैंक में प्रतिभूति के रूप में रखे गए स्वर्ण आभूषण नीलाम करने का निर्णय किया गया है और तदनुसार नीलामी का समय पूर्वा. 11.00 बजे नियत किया गया है और नीलामी उस शाखा परिसर में की जाएगी जहां से ऋण प्राप्त किया गया था। कर्जदारों, खाता धारकों सहित सर्वजन और सर्वसाधारण इस नीलामी में नीलामी के नियम एवं शर्तों के अनुसार भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि 29-07-2025@ पूर्वा. 11.00 बजे है

क्र. सं.	शाखा	खाता संख्या	खाता धारक का नाम
1	विकास नगर	102446510789	संजय के.द्विवेदी
2	आलमबाग	102342510312	मोहम्मद फैज़
3	आलमबाग	102342510311	मोहम्मद फैज़
4	आलमबाग	102342510772	दिव्य एच सिंह
5	आलमबाग	102342510651	उत्कर्ष पांडे
6	इंदिरापुरम	101942519601	पीयूष तिवारी
7	विकास नगर	102446510786	अंकिता मिश्रा
8	आलमबाग	102342510755	अंकिता मिश्रा
9	नानौता	101342510401	कुशल पाल
10	विकास नगर	102446510871	पंकज सिंह
11	आलमबाग	102342511267	नीतेश गुप्ता

बैंक का, कोई पूर्व सूचना दिए बिना, नीलामी से कोई भी खाता हटाने या नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड

केन फिन होम्स लिमिटेड

CIN - L85110KA1987PLC008699
प्रथम तल, SCO –2, सैक्टर–9, हुडा मार्केट, करनाल, हरयाणा – 132001 फोन : 0184-2231555, 7625079210
ई–मेल : karnal@canfinhomes.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना, परिशिष्ट IV-A [नियम 8 (6) के परंतुक देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा लिखें **केन फिन होम्स लिमिटेड, करनाल शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, **श्रीमती अनु रानी पत्नी श्री अनिल कुमार और श्री अनिल कुमार पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार (कर्जदार) और श्री मोहिंदर सिंह पुत्र श्री भगत राम (गारंटर)** की तरफ केन फिन होम्स लिमिटेड की **21.08.2025** तक बकाया राशि रु. **22,95,692/–(रुपये बाईस लाख पंचानवे हजार छह सौ बानवे रुपये मात्र)** उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक **18.07.2025** को "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहाँ है" आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. **14,30,000/– (रुपये चौदह लाख तीस हजार रुपये मात्र)** तथा बयाना राशि जमा रु. **1,43,000/– (रूपये एक लाख तैंतालीस हजार रुपये मात्र)** होगी।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान नंबर 24 (संपत्ति आईडी नंबर 1E51HPN6) खेवट नंबर 10, खतौनी नंबर 14, किते 18 रकबा 67 कनाल 6 मरले में शामिल है, इसका 5/1346 हिस्सा यानी 5 मरले का माप 146.87 वर्ग गज है, यह नसीबपुरम कॉलोनी, सरकारी प्राथमिक स्कूल के पास, वाका गांव सैदपुरा, तहसील और जिला– करनाल, राज्य–हरियाणा–132001 में स्थित है, उत्तरः गली 18 फीट चौड़ी, दक्षिणः अन्य मालिक का प्लॉट, पूर्वः अन्य मालिक का प्लॉट, पश्चिमः अन्य मालिक का प्लॉट

ज्ञात भारः शून्य

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें कैन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट **(https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx).** उपलब्ध कराई गई हैं।
ई–नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक www.bankeauctionwizard.com

दिनांक : 18.07.2025 **स्थान** : करनाल **प्राधिकृत अधिकारी केन फिन होम्स लि.**

केन फिन होम्स लिमिटेड

CIN - L85110KA1987PLC008699
प्रथम तल, SCO –2, सैक्टर–9, हुडा मार्केट, करनाल, हरयाणा – 132001 फोन : 0184-2231555, 7625079210
ई–मेल : karnal@canfinhomes.com

कब्जा सूचना { (नियम 8(1) } (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेडके प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक **मांग सूचना दिनांकित 08.05.2025** जिसमें कर्जदारों **श्री पवन कुमार पुत्र श्री बलवान (उधारकर्ता) और श्रीमती अनीता पत्नी श्री पवन कुमार (सह–उधारकर्ता) और (गारंटर) श्री बसेशर दयाल शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल** से सूचना में वर्णित बकाया राशि **रु. 13,95,283/– (रुपये तेरह लाख पिचनानवे हजार दो सौ तेरासी मात्र)** तथा वसूली की तिथि तक आगे संविदात्मक दर कर ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे है, एतदद्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक **17 जुलाई 2025** को ले लिया है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों का छड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदार को विशेष रूप तथा सर्वसाधरण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कैन फिन होम्स लिमिटेड की बाकाया राशि **रु. 13,95,283/– (रुपये तेरह लाख पिचनानवे हजार दो सौ तेरासी मात्र)** और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

अचलसंपत्ति का विवरण

गिरवी रखी गई संपत्ति का शेड्यूल मकान नंबर 8/21, भाग 51.66 वर्ग गज, गली नंबर 1, राजीव कॉलोनी, कस्बा करनाल, तहसील और जिला। करनाल, हरियाणा–132001 संपत्ति की सीमाएं: पूर्व : 30 फीट और श्री अतर सिंह का घर, पश्चिम: 30 फीट और रास्ता, उत्तर: 15.5 फीट और रास्ता, दक्षिण: 15.5 फीट और शर्मा जी का घर

दिनांक : 18.07.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : करनाल **केन फिन होम्स लि.**